साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 2 | अंक : 35 | गोंदिया : गुरुवार, 7 से 13 अप्रैल 2022 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5

रामजन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा : संपूर्ण शहर में निकलेंगी बाइक रैली

बुलंद गोंदिया - कोरोना संक्रमणकाल के 2 वर्षों के प्रतिबंधों के पश्चात 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाएगा। जिसमें गोंदिया के रामनगर स्थित राम मंदिर में दोपहर 12 बजे रामजन्मोत्सव व पूजन किया जाएगा। जिसके पश्चात दोपहर 2 बजे से भव्य शोभायात्रा निकली जायेगी। जिसमें विभिन्न धार्मिक झांकियाँ प्रमुख आकर्षण होंगी। शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करेगी।

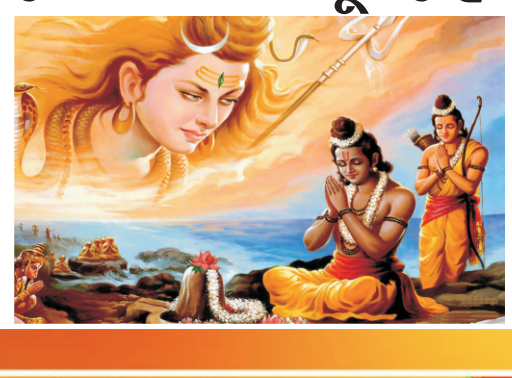

भव्य बाइक रैली का आयोजन

9 अप्रैल को सुबह 9.30 बजे भव्य राम बाइक रैली राम मंदिर से शुरु होकर पाल चौक, रेस्ट हाऊस चौक, नये उड़ानपुल से सिविल लाईन, फूलचूर नाका, गांधी प्रतिमा चौक, गणेश नगर, मनोहर चौक, गोरेलाल चौक, दुर्गा चौक, स्टेडियम परिसर सिंधी कॉलोनी, बाजपेई चौक, श्रीनगर आदि प्रमुख स्थानों पर भ्रमण कर शासकीय विश्रामगृह के समक्ष समापन होगा।

संपादकिय

और पाबंदियाँ नहीं

जानें क्या-क्या अडवाइजरी जारी कर रही हैं राज्य सरकारें

देश में कोरोना के मामलों कम होने का असर कोरोना पाबंदियों में ढील के रुप में दिख रहा है। दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई में अब मुंह पर मास्क लगाए रखना अनिवार्य नहीं रहा। महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 अप्रैल से कोविड संबंधी सारी पाबंदियां खत्म करने का एलान किया है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे कई अन्य राज्यों में या तो पाबंदियां पूरी तरह हटा ली गई हैं या उनमें कमी लाई गई है या उस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही गई है।

दो साल से कोरोना के साये में सख्तियों के बीच जीने को मजबूर देशवासियों को थोड़ी और राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई में अब मुंह पर मास्क लगाए रखना अनिवार्य नहीं रहा। दिल्ली में मास्क न लगाने वालों पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 अप्रैल से कोविड संबंधी सारी पाबंदियां खत्म करने का एलान किया है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे कई अन्य राज्यों में या तो पाबंदियां पूरी तरह हटा ली गई हैं या उनमें कमी लाई गई है या उस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही गई है। जाहिर है, इसके पीछे कोरोना के मामलों में देश भर में आई गिरावट है। रोज सामने आने वाले नए मामलों की संख्या अब बारह से साढ़े बारह सौ के बीच आ गई है।

देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले अभी 14307 हैं। अगर इन्फेक्शन के सभी मामलों में इसका अनुपात देखें तो यह मात्र 0.03 फीसदी बैठता है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों में 99.4 फीसदी खाली हैं। जाहिर है, ऐसी स्थिति में कोरोना से जुड़े प्रतिबंध जारी रखते हुए लोगों की स्वाभाविक गतिविधियों में बाधा डालने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे आर्थिक विकास की धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही प्रक्रिया भी बाधित होगी। मगर सबसे बड़ी बात इस संदर्भ में यह है कि कोरोना की महामारी का स्वरुप पहले दिन से वैश्विक रहा है। इसलिए सिर्फ अपने देश की स्थितियों के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और जहां तक विदेशों की बात है तो यह कई देशों में आज भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है।

खासकर चीन एकाधिक बार इसे काबू में कर लेने के बावजूद अभी एक बार फ्रि कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन घोषित करने पर मजबूर हुआ है। ऐसे में इसे हम बीती हुई बात के रुप में नहीं ले सकते। संभवत: इसीलिए अपने देश में भी सरकारें पाबंदिया हटाने की घोषणा करते हुए भी नागरिकों को सलाह यही दे रही हैं कि वे मास्क पहनने और दो गज दूरी रखने जैसी सावधानियों में अपने स्तर पर कमी न आने दें।

यह भी स्पष्ट है कि आम लोगों पर से भले पाबंदियां हटाई जा रही हों, अस्पतालों में आ रहे मामलों के जरिए कोरोना की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी और तय किए गए तबकों में तेज टीकाकरण के माध्यम से उसके खिलाफ लड़ाई भी पूरी तत्परता से जारी रखी जाएगी। इसलिए जरुरी है कि आम नागरिक पाबंदियां हटाने के इस फैसले को कोरोना से मुक्ति के संकेत के रुप में न लें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वायरस से लड़ाई के मौजूदा चरण में कानून की सख्ती के मुकाबले नागरिकों की समझदारी को ज्यादा कारगर माना जा रहा है।

जनगणना की जटिल राह और उपाय

भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को आनलाइन स्व-गणना का अधिकार देने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं।

हर दस साल में की जाने वाली जनता-जनार्दन की गिनती में करीब बीस लाख कर्मचारी जुटते हैं। छह लाख गांवों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल होता है। यह काम तब और बोझिल हो जाता है जब किसी कर्मचारी दल को उसके स्थानीय दैनंदिन कार्य से दूर कर उसे दूरदराज के गांवों में भेजा जाता है।

जनगणना 2021 में नागरिकों को गणना में शामिल होने की एक बेहतर और अनूठी आनलाइन सुविधा दी गई है। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मं त्रालय ने भारतीय नागरिकों को आनलाइन स्व-गणना का अधिकार देने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। जनगणना (संशोधन) - 2022 के अनुसार परंपरागत तरीके से तो जनगणना घर-घर जाकर सरकारी कर्मचारी करेंगे ही, लेकिन अब नागरिक स्व-गणना के माध्यम से भी अनुसूची प्रारुप भर सकता है।

इसके लिए पूर्व नियमों में इलेक्ट्रानिक फार्म शब्द जोड़ा गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 2 की उप धारा (1) के खंड आर में दिया गया है। इसके अंतर्गत मीडिया, मैग्नेटिक, कंप्यूटर जनित माइक्रोचिप या इसी तरह के अन्य उपकरण में तैयार कर भेजी या संग्रहित की गई जानकारी को इलेक्ट्रानिक फार्म में दी गई जानकारी माना जाएगा। यानी एंड्रायड मोबाइल से भी अपनी गिनती दर्ज की जा सकेगी, जो कि आजकल घर-घर में उपलब्ध है। इस आनलाइन प्रविष्टी के अलावा घर-घर जाकर भी जनगणना की जाएगी।

इसके लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा दस निदेशकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। याद रहे, यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते संभव नहीं हो पाई। अब इस आनलाइन गणना के साथ आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है, जिससे भारतीय नागरिकों की गिनती जल्द से जल्द हो सके। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो संभव है 2031 की गणना पूरी तरह आनलाइन हो जाएगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आनलाइन प्रयोग अद्वितीय हैं। लेकिन देश की जनता के स्थायी और निरंतर गतिशील पंजीकरण के दृष्टिगत अब जरुरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंप दी जाए। गिनती के विकेंद्रीकरण का यह नवाचार जहां दस साला जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रतिमाह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक व विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे।

जनगणना की यह तरकीब अपनाना इसलिए भी जरुरी है, क्योंकि तेज भागती यांत्रिक व कंप्यूटरीकृत जिदंगी में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार व सरंचना का दस साल तक इतंजार नहीं किया जा सकता। वैसे भी भारतीय समाज में जिस तेजी से लैंगिक, रोजगारमूलक और जीवन स्तर मे विषमता बढ़ रही है, उसकी बराबरी के प्रयासों के लिए भी जरुरी है कि हम जनगणना की परंपरा में आमूलचूल परिपर्तन लाएं।

जनसंख्या के आकार, लिंग और उसकी आयु के अनुसार उसकी जटिल सरंचना का कुछ ज्ञान न हो तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था के विकास की कालांतर में प्रगति, आमदनी में वृद्धि, खाध पदार्थो व पेयजल की उपलब्धता, आवास, परिवहन, संचार, रोजगार के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा के पर्याप्त उपायों के इजाफे के पूवार्नुमान लगा पाना मुश्किल होता है। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में ही लोकसभा और विधानसभा सीटों को परिसीमन के जरिए बढ़ाया जाता है। जनगणना में निरंतरता इसलिए भी जरुरी है, क्योंकि देश व दुनिया में जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक बताई जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या लगभग सात सौ करोड़ हो चुकी है। 2050 में यह आंकड़ा दस अरब तक पहुंच सकता है। इस आबादी का पचास प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा महज नौ देशों चीन, भारत, अमेरिका, पकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, कांगो, इथोपिया और तंजानिया में होगा।

जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ साठ लाख आबादी बढ़ जाती है। इस दर के अनुसार हमें अपने देश की करीब एक अरब तीस करोड़ लोगों की एक निश्चित जनसंख्या प्रारुप में गिनती करनी है, ताकि व्यक्तियों और संसाधनों के समतुल्य आर्थिक व रोजगारमूलक विकास का खाका खींचा जा सके। जनसंख्या का यह आंकड़ा अज्ञात भविष्य के विकास की कसौटी पर खरा उतरे उसका मूलाधार वैज्ञानिक तरीके से की गई सटीक जनगणना ही है।

हर दस साल में की जाने वाली जनता-जनार्दन की गिनती में करीब बीस लाख कर्मचारी जुटते हैं। छह लाख गांवों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल होता है। यह काम तब और बोझिल हो जाता है जब किसी कर्मचारी दल को उसके स्थानीय दैनंदिन कार्य से दूर कर उसे दूरदराज के गांवों में भेजा जाता है।

ऐसे हालात में गिनती की जल्दबाजी में वे मानव समूह छूट जाते हैं, जो आजीविका के लिए मूल निवास स्थल से पलायन कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादातर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लोग होते हैं। बीते कुछ सालों में आधुनिक व आर्थिक विकास की अवधारणा के चलते इन्हीं जाति समूह के करीब चार करोड़ लोग विस्थापन के दायरे में हैं। इनसे रोशन गांव तो अब बेचिराग हैं, लेकिन इन विस्थापितों का जनगणना के समय स्थायी ठिकाना कहां है, जनगणना करने आए दल को यह पता लगाना मुशकिल होता है।

इसलिए जरुरी है कि जनगणना की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरुप को बदल एक ऐसे स्वरुप में तब्दील किया जाए, जिससे इसकी गिनती में निरंतरता बनी रहे। इसके लिए न भारी भरकम संस्थागत ढांचे की जरुरत है, न ही सरकारी अमले की। केवल गिनती की केंद्रीयकृत जटिल पद्धति को विकेंद्रीकृत करके सरल करना है। गिनती की यह तरकीब ऊपर से शुरु न होकर नीचे से शुरु होगी।

देश की सबसे छोटी राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है, जिसका त्रिस्तरीय ढांचा विकास खंड व जिला स्तर तक है। हमें करना सिर्फ इतना है कि तीन प्रतियों में एक जनसंख्या पंजी पंचायत कार्यालय में रखनी है। इसी पंजी की प्रतिलिपि कंप्यूटर में दर्ज जनसंख्या प्रारुप पर भी अंकित हो। जिन ग्राम पंचायतों में बिजली व इंटरनेट की सुविधाएं हैं, वहां इसे जनसंख्या संबंधी वेबसाइट से जोड़ कर इन आंकड़ों का पंजीयन सीधे अखिल भारतीय स्तर पर हो सकता है। जैसा कि अब आनलाइन माध्यमों से अपनी गिनती दर्ज करा सकेंगे।

परिवार को इकाई मान कर संरपच, सचिव और पटवारी को यह जबावदेही सौंपी जाए कि वे परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम व अन्य जानकारियां जनसंख्या प्रारुप के अनुसार इन पंजियों में दर्ज करें। इस गिनती को सचित्र भी किया जा सकता है। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, इसलिए इस गिनती में चित्र व नाम के स्तर पर भ्रम की स्थिति निर्मित नहीं होगी, जैसा कि मतदाता सूचियों और मतदता परिचय-पत्र में देखने को मिलती हैं। गिनती की इस प्रक्रिया से कोई वंचित भी नहीं रहेगा, क्योंकि जनगणना किए जाने वाले जन और जनगणना करने वाले लोग स्थानीय हैं। गांव में किसी भी शिशु के पैदा होने की जानकारी और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी तुरंत पूरे गांव में फैल जाती है, अत: इस जानकारी को अविलंब पंजी में दर्ज किया जा सकेगा।

इस तरह से सभी विकास खंडों के आंकड़ों की गणना कर जिले की जनगणना प्रत्येक महीने होती रहेगी। जिला वार गणना के डाटा को प्रदेश स्तर पर सांख्यिकीय कार्यालय में इकट्ठा कर प्रदेश की जनगणना का आंकड़ा भी प्रत्येक महीने सामने आता रहेगा। प्रदेश वार जनसंख्या के आंकड़ों को देश की राजधानी में जनसंख्या कार्यालय में संग्रहीत कर हर महीने देश की जनगणना का वैज्ञानिक व प्रामाणिक आंकड़ा मिलता रहेगा। देश के नगर व महानगर वार्डो में विभक्त हैं, इसलिए वार्ड वार जनगणना के लिए गिनती की उपरोक्त प्रणाली ही अपनाई जाए। इस गिनती में जितनी पारदर्शिता और शुद्धता रहेगी, उतनी किसी अन्य पद्धति से संभव नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

7 APRIL

विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी। इसीलिए प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रुप में मनाया जाता हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है?

बहुत से लोगो के मन में यह प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दे कि दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने व लोगो को जागरुक करने के उद्देश्य से हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने के पीछे कोशिश होती है कि हर इंसान को सस्ते में अच्छे इलाज की सुविधा मिले। दुनिया भर में लाखों-करोड़ों लोग पोलियो, नेत्रहीनता, दिल की बीमारी, कुष्ठ, टीबी, मलेरिया, एड्स और कोरोना वायरस जैसे भयानक रोगों के शिकार हैं। ऐसे में इन बीमारियों के रोकथाम तथा इनके इलाज की समुचित व्यवस्था आदि विषयों पर विमर्श और जागरुकता भी स्वास्थ्य दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रुप से पूर्ण स्वस्थ होना ही मानव स्वास्थ्य की परिभाषा है। और हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम बनाकर यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के बैनर तले 195 से अधिक देश इसमें शामिल हैं और ये सभी देश अपने-अपने देश के नागरिकों को रोगमुक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?

अगर आप यह जानने के इच्छुक है की विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बता दे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे की विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे तथ्य है कि सम्पूर्ण विश्व को निरोग बनाने के उद्देश्यों वाली वैश्विक संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।

इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) की पहली स्वास्थ्य सभा भी हुई। इसके दो साल बाद से यानी कि 7 अप्रैल 1950 से हर साल इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की परंपरा शुरु हुई अर्थात यु कह सकते है कि पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 में मनाया गया था। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के संस्थापन वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में 72वां स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य

विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के पीछे बहुत से उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार है-

दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना।
हर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो।
स्वास्थ्य के मुद्दे और समस्या की ओर आम जनता की जागरुकता बढ़ाना।
दुनिया में हर व्यक्ति को इलाज की अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले।
विश्व भर में में फैल रही पोलियो, रक्ताल्पता, नेत्रहीनता, कुष्ठ, टी.बी., मलेरिया, एड्स और कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम।
मरीजों को समुचित इलाज की सुविधा मिल सके।
विश्व / देश / समाज को बीमारियों के प्रति जागरुक करना।
स्वस्थ वातावरण बना कर स्वस्थ रहना।
इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रुप से पूर्ण स्वस्थ रहे।

विश्व स्वास्थ्य दिवस विषयों की सूची

1991 : डिजास्टर स्ट्राइक होनी चाहिए, तैयार रहें
1992 : दिल की धड़कन - स्वास्थ्य की एक लय
1993 : देखभाल के साथ जीवन को संभालें - हिंसा और लापरवाही को रोकें
1994 : स्वस्थ जीवन के लिए मौखिक स्वास्थ्य
1995 : ग्लोबल पोलियो उन्मूलन
1996 : स्वस्थ शहर बेहतर जीवन के लिए
1997 : उभरते संक्रामक रोग
1998 : सुरक्षित मातृत्व
1999 : सक्रिय उम्र बढ़ने से फर्क पड़ता है
2000 : सुरक्षित रक्त मेरे साथ शुरु होता है
2001 : मानसिक स्वास्थ्य - बहिष्कार बंद करो, देखभाल करने की हिम्मत करो
2002 : स्वास्थ्य के लिए कदम
2003 : जीवन के भविष्य को आकार दें - बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण
2004 : सड़क सुरक्षा
2005 : हर माँ और बच्चे की गिनती करो
2006 : स्वास्थ्य के लिए मिलकर काम करना
2007 : अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा
2008 : जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से स्वास्थ्य की रक्षा
2009 : जान बचाओ, अस्पताल आपात स्थिति में सुरक्षित बनाओ
2010 : शहरीकरण और स्वास्थ्य - शहरों को स्वस्थ बनाते हैं
2011 : रोगाणुरोधी प्रतिरोध - आज कोई कार्रवाई नहीं, कल कोई इलाज नहीं
2012 : अच्छा स्वास्थ्य जीवन को बढाता है
2013 : स्वस्थ दिल की धड़कन, स्वस्थ रक्तचाप
2014 : Vector & borne diseases ! Small bite, Big threat
2015 : खाद्य सुरक्षा
2016 : वृद्धि को रोकें - मधुमेह को हराएं
2017 : अवसाद - चलो बात करते हैं
2018 : यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज - हर कोई, हर जगह
2019 : यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज - हर कोई, हर जगह
2020 : नर्स और दाइयों का समर्थन कारण
2021 : एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण
2022 : हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य

साभार : विकिपीडिया

बालक के साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म आरोपी को सश्रम कारावास

गोंदिया जिले के इतिहास में पहली बार अनैसर्गिक दुष्कर्म के आरोपी को धारा 377 के तहत मिली कठोर सजा

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले के न्यायिक इतिहास में पहली बार 12 वर्षीय बालक के साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म करने के आरोप में अर्जुनी मोरगांव निवासी आरोपी राका उर्फ राकेश सदालाल मडावी (30) को कठोर सजा प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायधीश एस.ए.ए.आर.ओ.टी. द्वारा सुनाते हुए 17 वर्ष का सश्रम कारावास व 60 हजार का दंड ठोका।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव निवासी आरोपी राका उर्फ राकेश सदालाल मडावी द्वारा 13 मार्च 2017 की शाम 6 से 7 बजे के दौरान गांव के ही एक 11 वर्ष 8 महीने के नाबालिग बालक के साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म किया था। घटना इस प्रकार है कि रात 8 बजे जब पीड़ित बालक के पिता फरियादी यह अपने दुकान से घर पहुंचे तो पीड़ित बालक ने बताया कि वह घर के आंगन में खेल रहा था इसी दौरान 6 से 7 के दौरान पड़ोसी आरोपी राकेश मडावी ने आकर कहा कि कबाड़ी दुकान की तरफ चल 20 दूंगा तथा उसे गांव के बाहर पानी की टंकी के समीप ले जाकर तनस के ढेर में अपने व उसके कपड़े निकाल कर पीड़ित बालक के विरोध के बावजूद गला दबाकर जान से मारने की धमकी देकर अनैसर्गिक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पिता को मिलने के पश्चात उपरोक्त मामले में आरोपी के खिलाफ 14 मार्च 2017 को पुलिस स्टेशन अर्जुनी मोरगांव में शिकायत दर्ज कराई गई। उपरोक्त मामले में शिकायत दर्ज कर तत्कालीन सहायक पुलिस उपनिरीक्षक पराग भाट द्वारा आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 377, 363, 506 तथा सहायक धारा बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून 2012 की धारा 4 व 6 के तहत दर्ज कर उपरोक्त मामले की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए सरकार तथा पीड़ित की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी व महेश चांदवानी जिला सरकारी वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष 9 गवाहों को प्रस्तुत किया तथा पीड़ित का बयान, उम्र, चिकित्सा अहवाल तथा सरकारी वकील की पैरवी को देखते हुए प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायधीश एसएएआरओटी द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए बाल लैंगिक अत्याचार कानून संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000 का जुर्माना ठोका गया। दंड की राशि न भरने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा भादवि की धारा 363 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास 5000 का जुर्माना दंड की राशि ना भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा भादवि की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 का जुर्माना दंड की राशि न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास इस प 17 वर्ष का सश्रम कारावास व 60000 जुर्माने की कठोर सजा दी तथा दंड की राशि प्राप्त होने पर उपरोक्त राशि पीड़ति बालक को देने का आदेश देने के साथ ही जिला विधि सेवा प्राधिकरण गोंदिया के माध्यम से पीड़ित बालक को मनोधैर्य योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद व पुनर्वसन करने का आदेश दिया है। उपरोक्त मामले में पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी पुलिस स्टेशन अर्जुनी मोरगांव के मार्गदर्शन में पैरवी पुलिस कर्मचारी मपोहवा गीता ठाकुर द्वारा न्यायालय कार्य में सहयोग दिया।

कलम 377 भादवी के प्रकरण में नवजोतसिंह जोहर विरुद्ध भारत सरकार 2018 इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दो व्यक्ति जिसमें स्वयं मर्जी व सम्मति से अनैसर्गिक संबंध रखने पर धारा 377 भादवी के अनुसार गुनाह होता नहीं इसलिए कलम 377 भादवी को उपरोक्त उद्देश्य पूर्ति के लिए अवैध घोषित किया था। परंतु बिना सम्मति से किया गया नैसर्गिक कृत्य दंडनीय अपराध है, ऐसा उन्होंने अपने निर्णय में दिया था। इस आधार पर माननीय विशेष न्यायालय गोंदिया द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई व पीड़ित बालक अथवा बालिका पर होने वाले लैंगिक अत्याचार तथा बाल लैंगिक अत्याचार श्रेणी में बदल होता है जिससे आज दिया गया निर्णय समाज के लिए एक दिशा दर्शक है।

- कृष्णा पारधी
विशेष सरकारी वकील
जिला व सत्र न्यायालय गोंदिया

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर समस्त शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ

डॉ. पुष्पराज गिरी

M.B.B.S., M.D. (Medicine)
FISCCM, FICM, FID, CMD, FCCS (USA)
सलाहकार चिकित्सक, क्रिटीकल केयर
हृदयरोग एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ

- Fellowship in Critical Care Medicine
- Fellowship in Nephrology (Kidney)
- Certificate Course in Echocardiolography
- Certificate Course in Diabetes
- Post Graduate Diploma in Diabetes Management

डॉ. वज्रा पी. गिरी

B.A.M.S., D.G.O.
स्त्री रोग एवं प्रसुती विशेषज्ञ

श्री राधे-कृष्ण क्रिटीकल केयर हॉस्पिटल

(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED)

विवेकानंद कॉलोनी, हड्डीटोली, रेल्वे चौकी रोड, गोंदिया - 441601 (महा.)

For Appointment : 07182 - 232221, 7507716433, 7378738884
TIMING : 7.00 AM to 9.00 PM

पूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण (Total Hip Replacement)

पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण (Total Knee Replacement)

फ्रेक्चर का AO (विदेशी) पध्दती से आधुनिक इलाज

बिना टाके बच्चेदानी निकालने (Hysterectomy) की शल्यक्रिया

दर्दरहित प्रसुती सुविधा

Experience Labour & Birth
Without Pain
Painless Delivery

सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध

ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिये लैमीनर एअर फ्लो युनिट से सुसज्जीत ऑपरेशन थियेटर

अत्याधुनिक आई.सी.यु.

अत्याधुनिक लेबर रुम

सखी मंच के लिये फुल बॉडी चैकअप मात्र १५००/- रु. में
CBC LFT KFT
Thyroid Profile
Diabetes Profile
Lipid Profile
Calcium Vitamin D & B12
Complete Urine Examination
अपोलो क्लिनिकल लैब बालाजी नर्सिंग होम के सौजन्य से..

24 घंटे ईमरजेंसी सुविधा उपलब्ध

डॉ. मोहन

बालाजी नर्सिंग होम

40 YEARS CARE & CURE ISO 9001:2015 Certified

सर्जीकल, स्त्री रोग एवम् हड्डी रोग हॉस्पीटल

आयुष्यमान भारत योजना, जीवनदायी आरोग्य योजना व कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अंतर्गत इलाज **निःशुल्क** किए जाते है ।

सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनीयों की कैशलेस सुविधा उपलब्ध

NVGT CARE, HDFC ERGO, ERICSON, RELIGARE, UNIQUE, ESIC

- **डॉ.एस.एम.मोहन**
  M.B.B.S., M.S.(Surg.)
  एन्डोस्कोपीस्ट एवम् लेप्रोस्कोपी सर्जन
- **डॉ.एस.विद्यासागर मोहन**
  M.B.B.S., D.N.B.(Orth.), M.N.A.M.S., F.I.A.S., M.S.I.O.T.
  हड्डीरोग विशेषज्ञ, ऑर्थोस्कोपी सर्जन
  जोड प्रत्यारोपण विशेषज्ञ (जर्मनी)
- **डॉ.श्रीकांत मेश्राम**
  M.B.B.S., M.D. (Medicine)
  सलाहकार चिकित्सक एवं हार्ट स्पेशलिस्ट व इंटेंसिविस्ट
- **डॉ.एस.श्यामला मोहन**
  B.Sc., M.B.B.S
  वरिष्ठ प्रसुती एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ
- **डॉ.एस.स्वाती विद्यासागर**
  M.B.B.S., D.N.B.(ObGy.), M.N,A.M.S.
  Certification in Obstectric Ultrasound
  प्रसुती एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ,
  दर्दरहित प्रसुती एवं
  प्रसुती सोनोग्राफी विशेषज्ञ,
  व्यंधत्व संबंधी परामर्श एवं चिकित्सा

LIC ऑफिस के पीछे, गणेश नगर, गोंदिया
फोन नं. 07182 - 236861, 237826,
मो. 8308393773, 7588048989

|| जय श्री राम ||

श्री राम नवमी पर हार्दिक शुभकामनाएँ

हरिकिशन चौधरी
सामाजिक कार्यकर्ता

श्री सिद्धीविनायक हॉस्पिटल

मल्टी-स्पेशिलिटी एण्ड चाईल्ड केयर सेंटर

- 24 घंटे आपातकालीन भर्ती सुविधा
- पॅथोलॉजिकल टेस्ट सुविधा
- ई.सी.जी.
- नेबुलाईज़ेशन
- बच्चों के टीकाकरण
- ऑक्सिजन
- नर्सिंग केयर
- मल्टी-पॅरामॉनिटरिंग

डॉ.विलास आगाशे
BAMS (MUHS)
PGDMES, PGCKS (Pune)
Reg. No.: 1-61234-A
जनरल फिजीशियन एवं बालरोग विशेषज्ञ

SHRI SIDHIVINAYAK HOSPITAL, GONDIA

सहयोगी चिकित्सक :
डॉ.रितेश वाठ
MBBS, MD (Medicine)
Medical Officer, Govt. of India
Ex-Medical Officer (MH Govt)
Reg. No.: 2005/02/0893
सलाहकार चिकित्सक

अंगुर बगीचा रोड, दुर्गा मंदिर के पास, कटंगी, गोंदिया - 441 614 (महा.)
संपर्क क्रमांक : 70661 22750

विश्व आरोग्य दिवस पर समस्त जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ

डॉ.अमरिश मोहबे
जिला शल्य चिकित्सक
गोंदिया

श्री राम जन्मोत्सव की सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ

निर्मला मिश्रा
पूर्व पार्षद
नगर परिषद, गोंदिया

सचिन (बंटी) मिश्रा
अध्यक्ष
मजुर सहकारी संस्था

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी

श्री राम नवमी पर हार्दिक शुभकामनाएँ

संजीव (सोनु) राय
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कार्यकर्ता

श्री राम नवमी पर हार्दिक शुभकामनाएँ

संदीप कडुकर
गवरमेंट कॉन्ट्रेक्टर

जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम

जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम

जय श्री राम जय श्री राम

श्री राम नवमी पर शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ

बजरंग सेना, गोंदिया

नरेन्द्र मिश्रा
विदर्भ प्रभारी

प्रकाश कनोजिया
जिला अध्यक्ष

राजेश मेथिया
जिला महासचिव

दीपक शर्मा
जिला प्रभारी

हेमंत मलिक
युवा मोर्चा अध्यक्ष

राज खान
सदस्य

नितेश यादव
सदस्य

रामदास बघेले
सदस्य

क्या करें

- घर से बाहर निकलने से पहले भरपेट पानी अवश्य पियें।
- सुती, ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहने।
- धूप में निकलते समय अपना सिर ढंककर रखें। टोपी/कपड़ा/छतरी का उपयोग करें।
- पानी, छाछ, ओआरएस का घोल या घर में बने पेय पदार्थ जैसे- लस्सी, नीबू पानी, आम का पना इत्यादि का सेवन करें।
- भरपेट ताजा भोजन करके ही घर से निकलें।
- धूप में कम से कम निकले।

क्या न करें

- धूप में खाली पेट घर से बाहर न निकले।
- पानी हमेशा साथ रखें। शरीर में पानी की कमी न होने दें।
- धूप में निकलते से पहले तरल पदार्थ का सेवन करें।
- मिर्च मसाले युक्त एवं बासी भोजन न करें।
- बुखार आने पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें।
- कुलर या एसी से धूप में एकदम न निकले।
- धूप में अधिक न निकले। दोपहर 12 से 4 बजे के दौरान धूप में निकलने से बचें।

लक्षण

- सिरदर्द, बुखार, उल्टी, अत्यधिक पसीना आना एवं बेहोशी आना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में ऐठन, नब्ज असामान्य होना।

एक्शन प्लान

- बीमार व्यक्ति को गर्मी से दूर ठंडी जगह रखा जाए
- पीड़ित को ढीले और हल्के कपड़े पहनाए जाएं
- त्वचा पर ठंडे और गीले कपड़े का इस्तेमाल
- लगातार थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी पीते रहें
- पीड़ित के पानी न पीने, उल्टियां करने और बेहोश होने पर डॉक्टर की मदद लें

नगर परिषद गोंदिया

नगर परिषद, गोंदिया

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है ऐसा नहीं है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।